



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 6 वर्ष के कठोर कारावास व ₹12000 अर्थ दंड की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अ0सं0-145/2020, धारा-354 भा0द0सं0 व 9m/10 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त सुनील निषाद पुत्र रामकिशुन निवासी सिमरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 12,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
रुद्रप्रताप सिंह



विवेचक-
म0उ0नि0 संगीता
यादव



पैरोकार
कोतवाली नगर
का0 बिजमान